<u>अति-महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-28/2021/345/18-2-2021</u>

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-**2** लखनऊ:दिनांक 29 जुलाई, 2021

विषय- प्रदेश स्थित समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों में कार्यरत कार्मिकों/श्रमिकों को कोविड-19 से सुरक्षा हेतु वैक्सिनेशन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्तमान में विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी से सुरक्षा हेतु मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग आदि जैसे उपाय अपनाये जाने के निर्देश हैं। कोविड-19 महामारी से सुरक्षा हेतु इन उपायों के अतिरिक्त वैक्सिनेशन की भी अत्यधिक आवश्यकता है। इसके लिये आवश्यक है कि प्रदेश स्थित समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों में कार्यरत कार्मिकों/श्रमिकों को कोविड-19 से प्रभावी सुरक्षा हेतु वैक्सिनेशन कराये जाने के लिये संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों के प्रबंधकों/मालिकों को प्रेरित किया जाय, ताकि इन सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों में कार्यरत कार्मिकों/श्रमिकों की कोविड-19 से प्रभावी सुरक्षा हो सके और उत्पादकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में स्थित समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कारखानों के प्रबंधकों/मालिकों से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें अपने यहां कार्यरत समस्त कार्मिकों/श्रमिकों को कोविड-19 से सुरक्षा हेतु उनका वैक्सिनेशन कराये जाने के लिये प्रेरित किया जाये और आवश्क्तानुसार निजी एवं सरकारी अस्पतालों को चिन्हित कर लिया जाये। इस हेतु नियमानुसार शासन द्वारा तय दरों पर निजी चिकित्सालयों से भी वैक्सिनेशन कराया जा सकता है। उक्त वैक्सिनेशन के संबंध में आवश्कतानुसार संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी से भी समन्वय किया जाये।

भवदीय,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त आयुक्त उद्योग, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,
पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।